

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं सम्न्वय विभाग

पत्र सं०- मं०मं० 1/आर० 05/04 854 पटना, दिनांक 30/3/2004

श्रेष्ठ,

के० ए० एच० सुब्रह्मण्यन,

मुख्य सचिव,

बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी आयुक्त एवं सचिव/ सचिव

विषय:- मंत्रिमंडल सचिवालय के माध्यम से रखे जानेवाले 9 प्रस्ताव के संबंध में ।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक सचिवालय उपस्थापित करने के संबंध में कहना है कि लोक सभा आम चुनाव, 2004 की घोषणा हो चुकी है एवं आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गया है ।

2- अतः यह आवश्यक है कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन होने के संबंध में विभाग के आयुक्त एवं सचिव/सचिव पूर्णतः सतुष्ट होने के बाद ही मंत्रिमंडल की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजे । यदि किसी प्रस्ताव के लागू होने से आदर्श आचार संहिता के किसी प्रावधान के उल्लंघन होने की आशंका हो, तो प्रस्ताव में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से पूर्व सहमति प्राप्त कर ही उसे मंत्रिमंडल की स्वीकृति हेतु भेजा जाये ।

विश्वासभाजन

के० ए० एच० सुब्रह्मण्यन

मुख्य सचिव ।